



Neutral Citation No.- 2026:AHC:488

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44265 वर्ष 2025

जावेद आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मो. अकबर शाह आलम खान

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री मो. आवेदक के अधिवक्ता अकबर शाह आलम खान और राज्य विधि अधिकारी सुश्री इफरा इस्लाम ने अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक 2025 के मामले अपराध संख्या-111, धारा 55, 103(2), 61(2), 152, 196, 197, 299, 351(3), 353(2), गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के 13, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के 67 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना-ककरौली, ज़िला: मुजफ्फरपुर नगर में सुनवाई के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, सलीम को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-41764 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 04.12.2025 के आदेश द्वारा पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के बराबर है, जिसे पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।



5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक 26.07.2025 से जेल में बंद है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

6. जमानत के लिए प्रार्थना का राज्य विधि अधिकारी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938** में पारित निर्णय और पारस राम विशनोई बनाम निदेशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/SCOR/22410/2021 के साथ-साथ **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51** के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

8. आवेदक- जावेद, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 5, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.